FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार** बनाम **राजेश कुमार**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/184/2022 दायर दिनांक 17.06.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.11.2022	पत्रावली प्रार्थी के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आईशर–3025 रजि0 संख्या एच.आर.–47–सी.–5292 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी सदर अलवर से राय/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी सदर अलवर द्वारा दिनांक 31.10.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के संबंध में अब कोई तकमील तफतीश शेष नहीं है। अतः जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर मुकामी पुलिस थाना को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पूर्व से नियत दिनांक 14.11.2022 को पेश हो। **जिला कलक्टर** **अलवर**	
14.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अ.अ.उप0/ अनु0 पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते .... दिनांक .... को पेश हो। 17/11/22	

14/11/22

वकील दोनों से [illegible]
पत्रावली तलब की गई। वकील
दोनों ने [illegible] याचिका [illegible]
मुख्यालय पेश की। पी. [illegible]
कर [illegible] पत्रावली [illegible]
सदर को वापस [illegible] हेतु
अवकाश पाये हैं। पत्रावली पेश
[illegible] [illegible] कार्य तारीख पर
दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)